फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर

खंगारमल
बनाम
बुधा वगै.

किस्म मुकदमा 225 आर.टी एक्ट न. 14 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.02.2025	राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर का पद रिक्त होने से पत्रावली बाद जांच प्रथम लिंक अधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। अपील राजस्थान काश्तकारी एक्ट 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 357/2023 बअनवान भंवरलाल के कायम मुकाम वगैरा बनाम बुधा वगैरा में पारित आदेश दिनांक 15.01.2025 के विरूद्ध पेश हुई। अपील अनुमति एवं मियाद के बिंदु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील के एडमिशन पर ही अधिवक्ता अपीलांटगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पर एकपक्षीय बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पेश कर विप्रार्थी संख्या 11 मुकेश कुमार पुत्र पारसमल के विरूद्ध अब हमारा पक्षकारों के मध्य मौजीज व्यक्तियों के मौजूदगी में राजीनामा राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से हो चुका है। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विप्रार्थी संख्या 11 के हक हिस्से तक राजीनामा किया गया शेष के हक हिस्से तक कोई राजीनामा नहीं किया गया। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेंटगण मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन करने हेतु उतारू है, यदि ऐसा किया जाता है तो अपीलकर्ता के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावी होंगे तथा अपीलांट न्याय से महरूम रह जायेगें तथा व्यर्थ की मुकदमेंबाजी में अभिवृद्धि होगी, जिससे प्रकरण में जटिलता उत्पन्न होगी। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांटगण की स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पर	

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

एकपक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया पाया कि प्रथम दृष्टया अपीलांट/वादीनीगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया प्रतीत होता है। अपीलांटस द्वारा विप्रार्थी संख्या 11 से ही राजीनामा किया गया इसलिए विप्रार्थी संख्या 11 के हिस्से तक तो अपीलाधीन आदेश उचित है लेकिन उसके पश्चात सम्पूर्ण प्रकरण का निस्तारण किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश प्रथम दृष्टया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया प्रतीत होता है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट को बाधित किया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होना संभाव्य है। अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.01.2025 में संशोधन किया जाकर विप्रार्थी संख्या 11 मुकेश कुमार की हद तक प्रार्थना–पत्र को विड्रोल किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा शेष प्रार्थना–पत्र को विधि अनुसार निस्तारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर को रिमाण्ड किया जाता है कि वे अपीलांटस को सुनवाई का समुतिच अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर